आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. अपील वाद संख्या –44 / 2022

ज्ञान्ति देवी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
17.03.2023	यह अपीलवाद समाहर्त्ता, पश्चिम चंपारण, बेतिया के वाद संख्या–07 / 2020–21 में दिनांक 05.01.2022 से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुना। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रस्तुत वाद 2005 के मार्गदर्शिका से आच्छादित है जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा सुने गये अपील के विरुद्ध पुनः अपील सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। सुनवाई के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने भी बताया कि आवेदिका का चयन आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका नियुक्ति मार्गदर्शिका 2005 से हुआ है । उन्होने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि जिला पदाधिकारी के द्वारा सुने गये अपील के विरुद्ध पुनः अपील इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। आवेदिका को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाद चयन मार्गदर्शिका 2005 से संबंधित है। जिस कारण इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त)	

WEB COPY NOT OFFICIAL

द्वारा अपने वाद संख्या–67/2020 को विभागीय पत्रांक–1780 दिनांक–05.03.2020 के आलोक में सुनवाई हेतु जिला पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया को हस्तांतरित कर दिया गया था। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया द्वारा दिनांक–05.01.2022 को आदेश पारित किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध पुनः इस न्यायालय में अपील वाद दायर है। उल्लेखनीय है कि जब जिला पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामले की अपील के रुप में सुनवाई कर आदेश पारित किया जा चुका है, तो एक ही आदेश (जिला प्रोग्राम पदाधिकारी) के विरुद्ध दो न्यायालयों (समाहर्त्ता एवं आयुक्त) में वाद दायर करना Res Judicata के सिद्वांत के विरुद्ध है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL